

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 473/2007 सेन्ट्रल बैंक विरुद्ध रतन सिंह का मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है।

उक्त मूल अभिलेख आहूत किये जाने के लिए प्रेषित मांग-पत्र सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा की इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "उक्त प्रकरण का विनष्टीकरण सरल क्रमांक 1006 पर दिनांक : 31/12/2015 को किया जा चुका है। उक्त टीप के साथ सहायक अभिलेखापाल द्वारा यह टीप भी अंकित की गई है कि "माननीय अपीलीय न्यायालय ए.एस.जे. गोहद द्वारा आरोपी रतन सिंह को राजीनामा के आधार पर दिनांक : 30/11/2013 को दोषमुक्त किया गया है। इस टीप के साथ ही विनष्टीकरण रजिस्टर की सरल क्रमांक 1006 की छायाप्रति भी सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रेषित की गई है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 473/2007 सेन्ट्रल बैंक विरुद्ध रतन सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में आरोपी को माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक : 30/11/2013 को आरोपी रतन सिंह को दोषमुक्त किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के उक्त मूल आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण उसके विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त दण्डादेश एवं प्रतिकर अदायगी संबंधी आदेश समाप्त हो जाने के कारण हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः ऐसी दशा में उक्त अपीलीय प्रकरण में आरोपी रतन सिंह को दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा  
जे.एम.एफ.सी., गोहद